

## भाग-II

### (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान : प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, बागपत द्वारा मेरठ-बागपत मार्ग किमी० 71 में हिन्दन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायीं ओर (बागपत की ओर) 223.00 मी० लम्बाई में एवं मेरठ की ओर 451.00 मी० लम्बाई में सम्पर्क मार्ग (एप्रोच रोड़) के निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 1.215 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।
- (i) राज्य संघ शासित क्षेत्र : उत्तर प्रदेश
- (ii) जिला : बागपत
- (iii) वन प्रभाग : बागपत वन प्रभाग, बागपत।
- (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में) : 1.215 हे०  
विवरण संलग्न है
- (v) वन कानूनी स्थिति : संरक्षित वन भूमि
- (vi) हरियाली का घनत्व : 0.5
- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर० एल०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं। : विभिन्न प्रजाति बाधक वृक्षों की संख्या- 30  
विवरण संलग्न है
- (viii) भू - क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संरक्षित टिप्पणी : प्रश्नगत क्षेत्र भू-क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी : प्रस्तावित परियोजना का कार्य उक्त मार्ग की संरक्षित पट्टी के भाग/हिस्सा में कराया जाना प्रस्तावित है। अतः दूरी शून्य है।
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाये) : प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कॉरीडोर आदि का भाग/हिस्सा नहीं है।
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। : नहीं

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/ पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें। नहीं

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांच गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है? : इस परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। : नहीं

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रयोग भूखण्ड का आकार : संलग्न है।

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप : संलग्न है

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण समय अनुसूची लागत ढांचा आदि : संलग्न है

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय : रू0-14,60,803/- मात्र।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये) : संलग्न है

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xiii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्नक करें) : संलग्न है

- 12 विभाग/ जिला प्रोफाईल : —
- (i) जिले में भौगोलिक क्षेत्र : 1321 वर्ग किमी०
- (ii) जिले में वन क्षेत्र : 1159.3772 है०
- (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर : 12 मामले, क्षेत्रफल 30.6514 है०  
प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
- (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल : —  
प्रतिपूरक वनीकरण  
कुल प्रतिपूरक वनीकरण  
क-दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण 88.9454 हेक्ट०  
सहित वन क्षेत्र  
ख- वनेत्तर भूमि पर —
- (v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :  
क- वन भूमि पर 37.9454 हेक्ट०  
ख- वनेत्तर भूमि पर —
13. प्रस्ताव स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को : प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, बागपत द्वारा  
अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक मेरठ-बागपत मार्ग किमी० 71 में हिन्दन नदी पर  
की विशेष सिफारिश प्रस्तावित सेतु के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु कुल  
क्षेत्रफल 1.215 है० संरक्षित वन भूमि का गैर  
वानिकी कार्य विकल्पहीन है। उक्त प्रस्ताव को  
नियमानुसार स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की  
जाती है।

तिथि:- 17.10.15

स्थान:- बागपत।

(मनीष मित्तल)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बागपत वन प्रभाग,  
बागपत।